प्रेस विज्ञप्ति

29.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने 25.10.2024 को "फेयरप्ले" के मामले में चल रही जाँच के हिस्से के रूप में मुंबई और कच्छ, गुजरात में 8 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है, जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था। तलाशी अभियान के दौरान, चल संपत्ति यानी नकदी, बैंक फंड और चांदी की छड़ें □□□□□ □□□□□ लगभग4 करोड़ रुपये के साथ-साथ विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों को जब्त/फ्रीज किया गया।

ईडी ने मेसर्स वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोडल साइबर पुलिस, मुंबई में मेसर्स फेयरप्ले स्पोर्ट एलएलसी और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार जाँच पर शुरू की औरआईपीसी, 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व की हानि (अपराध की आय) के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि कृष लक्ष्मीचंद शाह (फेयरप्ले के पीछे मुख्य व्यक्ति) ने फेयरप्ले के संचालन के लिए कुराकाओ में मेसर्स प्ले वेंचर्स एन.वी और मेसर्स डच एंटिलीज़ मैनेजमेंट एन.वी, दुबई में मेसर्स फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी, मेसर्स फेयरप्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी और माल्टा में मेसर्स प्ले वेंचर्स होल्डिंग लिमिटेड जैसी विभिन्न कंपनियों को पंजीकृत किया है। ईडी की जाँच से पता चला है कि फेयरप्ले का संचालन दुबई से किया जा रहा है। फेयरप्ले को तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों पर तलाशी की कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों से यह भी पता चला कि इसमें शामिल व्यक्तियों द्वारा भारत में 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाली उच्च मूल्य की अचल/चल संपत्ति खरीदी गई है।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 12.06.2024, 27.08.2024 और 27.09.2024 को तलाशी अभियान चलाया था और विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के साथ 113 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति जब्त/फ्रीज की थी। इस मामले में अब तक कुल जब्ती 117 करोड़ रुपये (लगभग) की है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।